

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: पं.1(28)शिक्षा-6/2018

जयपुर, दिनांक :- 16.08.2018

:- आदेश :-

संस्कृत शिक्षा विभाग के निम्नलिखित प्राध्यापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	विषय	पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	वि. वि
1	श्री रूपचन्द खटीक	प्राध्यापक	हिन्दी	रावउपासवि, फलोदी, जोधपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रावउपासवि, गलौद, टोक	स्वैच्छिक
2	श्री रामरत्न कुमावत	प्राध्यापक	सामान्य व्याकरण	रावउपासवि, किसानगढ़ रेनवाल में व्याकरण शास्त्र के पद पर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रावउपासवि, किसानगढ़ रेनवाल में सामान्य व्याकरण के पद पर	स्वैच्छिक
3	डॉ० अपनेन्द्र डागर	प्राध्यापक	व्या. शास्त्र	रावउपासवि, सैसड़ा, नागौर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.महाराज वउपासवि, जयपुर	स्वैच्छिक
4	श्रीमती विनय शर्मा	प्राध्यापक	अंग्रेजी	रावउपासवि, विराटनगर, जयपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रावउपासवि, अलवर में व्याकरण शास्त्र के पद के विरुद्ध	स्वैच्छिक
5	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	प्राध्यापक	सामान्य व्याकरण	रा.व.उपा.स.वि. भीनमाल (जालौर)	रा.व.उपा.स.वि. पुष्कर (अजमेर)	स्वैच्छिक
6	श्री नवला राम चौधरी	प्राध्यापक	अंग्रेजी	रावउपासवि, बासनी, जोजावर, पाली	रावउपासवि, भीनमाल, जालौर	स्वैच्छिक
7	श्री लक्ष्मण राम	प्राध्यापक	व्या. शास्त्र	रा.व.उपा.स.वि. महरमपुर (झुन्झुनु)	रा.व.उपा.स.वि. 5 सीएनएम, काकड़वाला, लूणकरणसर, बीकानेर	स्वैच्छिक

8	श्री मुरारी लाल शर्मा	प्राध्यापक	साहित्य	रा.उपा.सं.वि 5 सीएचएन, काफडवाला, लूणकरणसर, बीकानेर	उप निरीक्षक के पद पर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधि. बीकानेर, संभाग चूरू	स्वीच्छिक
9	श्री कुलदीप माथुर	प्राध्यापक	हिन्दी	रा.उपा.सं.वि, शेखसरवास, खांडाला बीकानेर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.उपा.सं.वि, रणौ अलवर	स्वीच्छिक
10	श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा	प्राध्यापक	सामान्य व्याकरण	रा.उपा.सं.वि, बिलौधी, जयपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.उपा.सं.वि, सिरहड़योदी, जयपुर	स्वीच्छिक
11	श्री राकेश कुमार शर्मा	प्राध्यापक	हिन्दी	रा.उपा.सं.वि, सालासर, चूरू किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.उपा.सं.वि, चूरू	स्वीच्छिक

जिन प्राध्यापकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है उक्त नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। समस्त प्राध्यापकों का दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा; परीक्षाधीन प्राध्यापकों के संबंध में परीक्षा अवधि तक उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। आर.टी.आर.ई.एस. याजना के अन्तर्गत कार्यरत प्राध्यापकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। जिन प्राध्यापकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है तथा उनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम की अवधि शेष है उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे और न ही वे स्वयं कार्यमुक्त हों।

24/1

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण सूची का विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय, द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित प्राध्यापक, द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रवली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:-निसंशि/संस्था-1/II,/2018/34124-145 दिनांक:- 16-08-2018

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त स्थानान्तरण आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जाकर कार्यमुक्त/कार्यारम्भ की सूचना निदेशालय को प्रेषित करवाई जाए ।

24/1

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर.